

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- ५३००८००१००० / राज्य पोषित छात्रों/ २०२१-२२

दिनांक १५ दिसंबर २०२१

समर्त निदेशक/प्राचार्य/प्रधानचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी,

राजकीय/अशाराकीय सहायता प्राप्ता/रघिता पोषिता,

महापितामह/इन्स्टीट्यूट/गैजिकल कालेज/दीवीग लड्डा शिक्षा अधिकारी/पांडीटेक्निकल कालेज/जनपद

गौतमबुद्धनगर।

विषय- राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निगत समय रारिणी के अनुसार दिनांक ०२ अक्टूबर २०२१ को छात्रवृत्ति किये जाने के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उ०८० लखनऊ के पत्र संख्या- २०२३/अ०८००१००१०-९८२/ पुर्वदसम छात्रवृत्ति/२०२१-२२ दिनांक २० दिसंबर २०२१ का अवलोकन करने का काट करे, जिसके द्वारा विलीय वर्ष २०२१-२२ में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनंदाङ्क आवेदनों में से अन्तिम रूप सम्बन्धित आवेदन किया गया है। जनपद में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनंदाङ्क आवेदनों का विवरण निम्नान्वय है जो आपकी संस्थाओं के लाइसेंस पर योजनावार परिलक्षित हो रहा होगा-

S. No	Scheme	Due for Renewal	Registration	Form Entered	Temp Lock	Final Submission	Received by college	Verified By College
1	PreMatric 9-10(Fresh)	०	१६०	११५	५७	५२	१४	११
2	PreMatric 9-10(Renewal)	१३८	११	१६	१६	१	५	४
3	PostMatric 11-12(Fresh)	०	१०६	८५	३८	२५	०	०
4	PostMatric 11-12(Renewal)	१६२	०	२१	३	३	१	१
5	PostMatric Otherthan Inter(Fresh)	०	९६	१३	०	०	०	०
६	PostMatric Otherthan Inter(Renewal)	८७०	०	४२	०	०	०	०

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपनी शिक्षण संस्था से सम्बंधित आपकी लागिन आई०डी० पर परिलक्षित छात्र/छात्राओं के अन्तिम रूप सम्बन्धित आवेदन- पत्रों को नियमानुसार तत्काल अव्याप्तिरित करना सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक पात्र छात्र/छात्राओं को दिनांक ०२ अक्टूबर २०२१ को छात्रवृत्ति वितरण किया जाना सम्भव हो सके। यदि उच्चान्वित शिक्षण संस्था द्वारा उक्त योजनान्तर्गत सामय कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, जो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के विलद नियमानुसार करायेगा ही किये जाने हेतु यात्रा होना पड़ेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित शाम्बन्धित शिक्षण संस्था का होगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१-निदेशक/अल्पसंख्यक कल्याण उ०८० लखनऊ।

२-जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।

३-मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

✓जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नमत् प्रकरण में अपने तत्त्व से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को तत्काल निर्देशित करना सुनिश्चित करे।

१०१
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्ध नगर।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

राजकीय/असाराकीय त्थायता प्राप्ता/

वित्तविहीन नाथगिरि विद्यालय, जनपद-गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /छात्रवृत्ति/ ३५४४-५६/ 2021-22/

दिनांक 25-09-2021

विषय- सच्च पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निगत समय सारिणी के अनुसार दिनांक 02 अक्टूबर 2021 को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक/153/अ०स०क०/राज्य धोषित छात्रो/2021-22 दिनांक 24.09.2021 का संदर्भ यहण करने का कष्ट करें जिसके द्वासा अवगत कराया गया कि निर्देशक कल्याण अ०स०० के पत्र संख्या-2023/अ०स०क०५०/पूर्वदशम छात्रवृत्ति/2021-22 दिनांक 20 सितम्बर 2021, वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदनों में रो अन्तिम रूप सावधित आवेदन किया गया है। जनपद में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये औनलाइन आवेदनों का विषय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संलग्न पत्र के अनुसार आपकी संस्थाओं के लोगिन पर योजनावार परिलेखित ही रहा होगा।

अत उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित आपकी लोगिन आई०डी० पर परिलेखित छात्र/छात्राओं के अन्तिम रूप सावधित आवेदन-पत्रों को नियमानुसार तत्काल अवृसारित करना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को दिनांक 02 अक्टूबर 2021 को छात्रवृत्ति वितरण किया जाना सम्भव हो सके। यदि सम्बन्धित शिक्षण संस्था द्वारा उक्त योजनान्तर्गत सत्तमय कार्य का पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसका संतुष्टि उत्तरदायित सम्बन्धित शिक्षण संस्था का होगा।

संलग्नक- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर का पत्र।

भवदीय

दामोदर सिंह

जिला विद्यालय निरीक्षक,

गौतमबुद्धनगर

प्र०स०/छात्रवृत्ति/ ३५४४-५६ /2021-22 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु रादर प्रेषित।

1- मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

2-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

जिला विद्यालय निरीक्षक,

गौतमबुद्धनगर